24 राज्यों ने 'राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)' अधिनियम पारित किया, जबकि 7 राज्यों यथा मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में एसजीएसटी अधिनियम को पारित करना अभी बाकी है

Posted On: 05 JUN 2017 8:30PM by PIB Delhi

24 राज्यों ने आज अर्थात 5 जून, 2017 तक राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) अधिनियम को बाकायदा पारित कर दिया है, जबिक 7 राज्यों यथा मेघालय, पंजाब, तिमलनाडु, केरल, कर्नाटक,जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में एसजीएसटी अधिनियम को पारित करना अभी बाकी है।

राज्य जीएसटी अधिनियम को पारित करने वाले राज्यों का ब्यौरा देखने के लिए अंगरेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें

वीके/आरआरएस/वीके - 1626

(Release ID: 1491851) Visitor Counter: 5









in